## Uttar Pradesh Shasan Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-3659 /9-1-2022- 424Sa./12T.C.(1) dated November 28, 2022:

## No.- 3659 /9-1-2022-424Sa./12T.C.(1) Lucknow; Dated: November そん, 2022

In exercise of powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) read with Article 243-Q of the Constitution, the Governor is pleased to rescind Notification no. 2527/IX-1-2020-424SA/2012T.C.(1) dated 20th December, 2020 except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

By order. (Amrit Kbhijat) Principal Secretary.

## उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुमाग-1 संख्या-3659 /9-1-2022-424सा./12दी.सी.(1) लखनऊ : दिनांक 2 8 नवम्बर, 2022

## अपिसचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-'व' के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपयारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, अधिसूचना संख्या-2527/9-1- 2020-424सा/12टी.सी.(1), दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 का उन बातों के सिवाय विखण्डन करती है, जो ऐसे विखण्डन के पूर्व की गयी हों या किये जाने हेतु लोपित हो।

(अमृत' भीभजात) प्रमुख सचिव।

ADM (8)

28/11/2

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशवाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिभूचना को दिनांक-28 नवम्बर, 2022 के असाधारण गजट में वियायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 25-25 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कप्ट करें।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित नि-नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- मण्डलायुक्त, अलीगढ़, मण्डल, अलीगढ। (1)
- जिलाधिकारी, अलीगढ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र (2) और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (3)
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ। (4)
- निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (5) (6) निदेशक, स्यानीय निकाय, उ०प्र0 लखनऊ।
- निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० लखनऊ। 7
  - গাৰ্চ দাহল।

LBC/TAC

सज़ा से, (महावीर प्रसाद अनु सचिव

(महावीर प्रसाद) अनु सचिव।